



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122021-231824
CG-DL-E-13122021-231824

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4806]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 2021/अग्रहायण 22, 1943

No. 4806]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 2021/AGRAHAYANA 22, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2021

(आय-कर)

का.आ. 5187(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 135क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई-सत्यापन स्कीम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं.- (1) यह स्कीम, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रेषिती" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ;

(ग) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है ;

(घ) "स्वचालित आबंटन तंत्र" से संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों के उपयोग द्वारा जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग शामिल है, मामलों के यदृच्छया आबंटन के लिए प्रतीक गणित, अभिप्रेत है ;

- (ड) “आय-कर आयुक्त (ई-सत्यापन)” से आय-कर नियम, 1962 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133ग के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी, अभिप्रेत है ;
- (च) “कम्प्यूटर संसाधन” का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है ;
- (छ) “कम्प्यूटर प्रणाली” का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;
- (ज) “पदाभिहित पोर्टल” से यथास्थिति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नामनिर्दिष्ट वेब पोर्टल, अभिप्रेत है ;
- (झ) “अंकीय हस्ताक्षर” का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है ;
- (ञ) “इलेक्ट्रानिक रिकार्ड” का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;
- (ट) “ई-मेल” या “इलेक्ट्रानिक मेल” और “इलेक्ट्रानिक मेल मैसेज” से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्त जिसमें टैक्सट, इमेज, श्रव्य, दृश्य और अन्य इलेक्ट्रानिक रिकार्ड शामिल हैं, पर सृजित या पारेषित या ग्रहण किए मैसेज या जानकारी जो मैसेज के साथ पारेषित की जा सके, अभिप्रेत है ;
- (ठ) “विहित प्राधिकारी” से आय-कर निदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) में कार्य करने वाला कोई आय-कर प्राधिकारी जो इस स्कीम के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है ;
- (ड) निर्धारिती के “रजिस्ट्रीकृत लेखा” से पदाभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग लेखा, अभिप्रेत है ;
- (ढ) “रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता” से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर इलेक्ट्रानिक संसूचना प्रेषिती को परिदत्त या पारेषित की गई है, अभिप्रेत है जिसमें –
- (i) पदाभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत निर्धारिती का इलेक्ट्रानिक फाइलिंग लेखे में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
 - (ii) निर्धारिती द्वारा अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
 - (iii) निर्धारिती से संबंधित स्थायी खाता संख्या डाटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
 - (iv) उस मामले में जहां निर्धारिती कोई व्यक्ति है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध निर्धारिती की आधार संख्या या ई-मेल पता रखता है ; या
 - (v) उस मामले में जहां निर्धारिती एक कंपनी है, जिसका ई-मेल पता कारपोरेट कार्य मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध है ; या
 - (vi) आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रेषिती द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ।
- (ण) प्रेषिती का “रजिस्ट्रीकृत मोबाईल नंबर” निम्नलिखित में से किसी एक का या दानों का अभिप्रेत है ;
- (i) पदाभिहित पोर्टल में निर्धारिती के द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग लेखा के यूजर प्रोफाइल में निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल नंबर ;
 - (ii) ऐसे प्रेषिती की दशा में, जो व्यष्टिक है और जिसके पास आधार संख्या, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नंबर ।
- (त) “जोखिम प्रबंध रणनीति” से समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा विनिश्चित जोखिम की संभावना को कम करने के दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिकीय साधनों जिनके अंतर्गत कृत्रिम सूचना और अधिगम मशीन भी हैं, का उपयोग करके सूचना के मानकीकृत परीक्षण के लिए विधि विशेष, अभिप्रेत है ;

(थ) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है ;

(द) "संवीक्षा निर्धारण" से अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग अभिप्रेत है ;

(ध) "वीडियो टेलिफोनी" से तत्काल लोगों के बीच संचार के लिए भिन्न-भिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ताओं द्वारा ऑडियो वीडियो सिग्नलों का श्रवण और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः उनका अधिनियम में है ।

3. स्कीम का कार्यक्षेत्र.- (1) स्कीम का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित के संबंध में निम्नानुसार होगा ;

(i) अधिनियम की धारा 133 के अधीन सूचना की मांग करना ;

(ii) अधिनियम की धारा 133ख के अधीन कतिपय सूचना एकत्रित करना ;

(iii) अधिनियम की धारा 133ग के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना की मांग करना ;

(iv) अधिनियम की धारा 134 के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग करना ; और

(v) अधिनियम की धारा 135 के अधीन निर्धारण अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करना

(2) स्कीम सूचना की प्रक्रिया या उपयोगता के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों के प्रयोग पर लागू होगी जो,-

(i) यथास्थिति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) के कृत्यों में है ; या

(ii) यथास्थिति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) को -

(क) आय-कर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) ;

(ख) विवरणी प्रक्रिया के लिए केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र के भारसाधक आय-कर आयुक्त ;

(ग) स्रोत पर कर कटौती विवरण की प्रक्रिया के लिए केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र (टीडीएस) के भारसाधक आय-कर आयुक्त ;

(घ) किसी अन्य प्राधिकारी, निकाय या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई है ।

4. इलेक्ट्रानिक संग्रहण और सत्यापन.- (1) आय-कर आयुक्त (ई-सत्यापन) (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार पैरा 3 के उप-पैरा में निर्दिष्ट सूचना का संग्रहण करेगा ।

(2) यथास्थिति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) आय-कर आयुक्त को (ई-सत्यापन) के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट सूचना उपलब्ध कराएगा -

(i) जो निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखे पर अपलोड की गई थी या रजिस्ट्रीकृत मोबाईल नम्बर पर भेजी गयी थी, जो भी उपलब्ध था और उसके द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी या उस मामले में जहां नब्बे दिनों के भीतर कोई उत्तर निर्धारिती से प्राप्त नहीं हुआ था ;

(ii) इस संबंध में कोई रजिस्ट्रीकृत ई-मेल या मोबाईल नम्बर रिकार्ड में नहीं है।

(3) आय-कर आयुक्त (ई-सत्यापन) प्रारम्भिक ई-सत्यापन के लिए, इस पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार प्रक्रिया करेगा ।

(4) आय-कर आयुक्त (ई-सत्यापन) द्वारा प्रारम्भिक ई-सत्यापन, उस स्रोत के लिए संसूचना के स्वचालित प्रचालन के माध्यम से होगा जहां से सूचना ग्रहण की गई है और यथास्थिति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) ऐसी स्वप्रचालित संसूचना के लिए समर्थ होगा ।

(5) ऐसे मामलों में जहां निर्धारिती द्वारा स्वीकार की गई रकम और रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट की गई रकम के मध्य लगातार बेमेल बना रहता है वहां ऐसे प्रारम्भिक ई सत्यापन के पश्चात् बोर्ड द्वारा अधिकथित किसी जोखिम प्रबंधन

युक्ति के माध्यम से ऐसी जानकारी रखी जाएगी और जहां ऐसे जोखिम मानदंड पर ऐसी जानकारी में कोई जोखिम नहीं पाया जाता है या निम्न जोखिम पाया जाता है और जहां कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित न हो वहां उसे समाप्ति हेतु प्रचालित किया जाएगा।

- (6) शेष जानकारी, यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) किसी स्वतः आबंटन प्रणाली के माध्यम से विहित प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की जाएगी।
- (7) ऐसी आबंटित की गई जानकारी का सत्यापन इस संबंध में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण), बोर्ड की पूर्व अनुमोदन से, विहित रीति में पूर्ण की जाएगी।
- (8) उपरोक्त सत्यापित जानकारी आयकर आयुक्त (ई सत्यापन) को प्रत्येक सत्यापन के लिए किसी प्रारंभिक सत्यापन की इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में वापिस भेजी जाएगी।
- (9) आयकर आयुक्त (ई सत्यापन) प्रारंभिक सत्यापन रिपोर्ट का संबंधित निर्धारिती की आयकर विवरणी में जानकारी के साथ मिलान करेगा जहां ऐसी विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है वहां अंतिम सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (10) अंतिम सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के अनुसार निम्न जोखिम वाली जानकारी को समाप्ति हेतु विचार किया जाएगा।
- (11) अंतिम सत्यापन रिपोर्ट के रूप में शेष जानकारी उप पैरा 12 के अनुसार प्रसारित की जाएगी।
- (12) यदि उपपैरा (11) में निर्दिष्ट जानकारी, -

(i) किसी लंबित संवीक्षा निर्धारण से संबंधित है तो यथास्थिति, चेहराविहीन निर्धारण अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी;

(ii) किसी लंबित संवीक्षा निर्धारण से संबंधित नहीं है तो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयुक्त की जाएगी।

5. जानकारी का यादृच्छिक आबंटन - यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), बोर्ड के अनुमोदन से विहित प्राधिकारी को पैरा-4 के उप पैरा (6) में निर्दिष्ट जानकारी यादृच्छिक आबंटन या अंतरित करने हेतु कोई प्रक्रिया विरचित करेगा।

6. सूचना जारी और तामील करना – (1) विहित प्राधिकारी, जानकारी के सत्यापन के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति को ऐसे सत्यापन के लिए यथावश्यक दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने हेतु उसे किसी सूचना को जारी कर सकेगा।

(2) सूचना विहित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा जारी की जाएगी।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन मांगी गई जानकारी या दस्तावेज, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व या तारीख को या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध पर विहित प्राधिकारी द्वारा विस्तारित तारीख को प्रस्तुत की जाएगी।

7. सूचना का प्रत्युत्तर – आयकर महानिदेशक (प्रणाली), आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) के परामर्श से :

(i) सूचनाओं का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(ii) पैरा 6 के अधीन जारी की गई सूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप विहित कर सकेगा।

8. व्यक्तिगत उपस्थिति का न होना – (1) किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में विहित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी व्यक्ति की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) असाधारण मामलों में, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति का अनुरोध किया जाता है तो विहित प्राधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलिफोनी, प्राद्योगिकी रूप से साध्य के विस्तार तक, व्यक्तिगत उपस्थिति को अनुज्ञात कर सकेगा।

9. इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा अनन्य रूप से संसूचना – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, --

- (क) आयकर आयुक्त (ई-सत्यापन) और विभिन्न प्राधिकारियों जिनसे ऐसी जानकारी प्राप्त की जाती है, के मध्य सभी संसूचनाएं इलैक्ट्रानिक पद्धति में होंगी;
- (ख) आयकर आयुक्त (ई-सत्यापन) और आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) के मध्य सभी संसूचनाएं इलैक्ट्रानिक पद्धति में होंगी;
- (ग) विहित प्राधिकारी से इस स्कीम के अधीन प्रत्येक सूचना या कोई अन्य संसूचना किसी व्यक्ति को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रौद्योगिकी रूप से साध्य के विस्तार तक, इलैक्ट्रानिक रूप से परिदत्त की जाएगी;
- (घ) कोई व्यक्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी सूचना या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रत्युत्तर विहित प्राधिकारी को इस स्कीम के अधीन अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रौद्योगिकी रूप से साध्य के विस्तार तक, इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी;
- (ङ.) आयकर आयुक्त (ई-सत्यापन) और चेहराविहीन निर्धारण अधिकारी या अधिकारिता रखने वाला निर्धारण अधिकारी के मध्य सभी संसूचनाएं यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) के माध्यम से संचालित की जाएंगी।

10. इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का अधिप्रमाणन – किसी इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा –

- (i) यथास्थिति, आयकर आयुक्त (ई-सत्यापन) या विहित प्राधिकारी अपना डिजिटल हस्ताक्षर चिपकाकर;
- (ii) कोई व्यक्ति या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने डिजिटल हस्ताक्षर चिपकाकर यदि उससे नियमों के अधीन उसकी आयकर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर अपेक्षित है और किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर संसूचना द्वारा।

11. प्रक्रिया और कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट करने की शक्तियां – (1) आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) बोर्ड के अनुमोदन से निम्नलिखित विषयों के संबंध में इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यकरण हेतु प्रक्रिया और कार्यवाहियां समय समय पर विनिर्दिष्ट करेगा :-

- (क) ऐसी जानकारी का सत्यापन करते समय विहित प्राधिकारियों द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया और सत्यापन की तकनीकी हेतु पालन की जाने वाली रीति;
- (ख) प्रशासनिक कृत्यों का प्रबंधन जैसे पावती, स्कैनिंग, आंकड़ा प्रविष्टि, भंडारण और किसी केंद्रीकृत रीति में दस्तावेजों और जानकारी की पुनर्प्राप्ति;
- (ग) आयकर महानिदेशालय (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) के अधीन शिकायतें निपटाने हेतु शिकायत निवारण प्रणाली।

(2) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) बोर्ड के अनुमोदन से निम्नलिखित विषयों के संबंध में इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यकरण हेतु प्रक्रिया और कार्यवाहियां समय समय पर विनिर्दिष्ट करेगा :-

- (क) प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर की अभिस्वीकृति जारी करने हेतु पद्धति और प्रारूप;
- (ख) वैब-पोर्टल प्रसुविधा के उपबंध जिसके अंतर्गत लागिन प्रसुविधा सत्यापन की प्रास्थिति खोजना, सुसंगत ब्यौरे उपदर्शित करना और डाउनलोड की प्रसुविधा भी है;
- (ग) कॉल सेंटर प्रश्नों का उत्तर देने हेतु तथा सहयोगी सेवाओं जिसके अंतर्गत बाहरी काल और आंतरिक कॉल जानकारी या स्पष्टीकरण की ईप्सा हेतु का उपबंध करना।

[अधिसूचना सं. 137/2021/फा. सं. 370142/57/2021-टीपीएल(भाग-1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2021

(INCOME-TAX)

S.O. 5187(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 135A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

- 1. Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the e-Verification Scheme, 2021.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-** (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (b) “addressee” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (c) “authorised representative” shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act;
 - (d) “automated allocation system” means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources;”
 - (e) “Commissioner of Income –tax (e-Verification)” means the prescribed income - tax authority under section 133C of the Act read with rule 12D of the Income-tax Rules,1962;
 - (f) “computer resource” shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (g) “computer system” shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (h) “designated portal” means the web portal designated as such by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be;
 - (i) “digital signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (j) “electronic record” shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (k) “e-mail” or “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;
 - (l) “Prescribed Authority” shall mean any income-tax authority working in the Directorate of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), who is authorised by the Board to act as such authority for the purposes of this Scheme;
 - (m) “registered account” of the assessee means the electronic filing account registered by the assessee in designated portal;
 - (n) “registered e-mail address” means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including-
 - (i) the e -mail address available in the electronic filing account of the addressee registered in the designated portal; or

- (ii) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
 - (iii) the e-mail address available in the permanent account number database relating to the addressee; or
 - (iv) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India; or
 - (v) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or
 - (vi) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;
- (o) “registered mobile number” of the addressee means either or both of—
- (i) the mobile number of the assessee, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the assessee in designated portal;
 - (ii) in the case of addressee, being an individual who possesses the Aadhaar number, the mobile number available with the database of Unique Identification Authority of India.
- (p) “risk management strategy” means an algorithm for standardised examination of information, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to reduce the scope of risk, as decided by the Board from time to time;
- (q) “rules” means Income-tax Rules, 1962;
- (r) “scrutiny assessment” means assessment under section 143 or section 144 or section 147 or section 153A or section 153C of the Act;
- (s) “video telephony” means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.- (1) The scope of the Scheme shall be in respect of:

- (i) calling for information under section 133 of the Act;
- (ii) collecting certain information under section 133B of the Act;
- (iii) calling for information by the prescribed income-tax authority under section 133C of the Act;
- (iv) exercise of power to inspect registers of companies under section 134 of the Act; and
- (v) exercise of power of Assessing Officer under section 135 of the Act.

(2) The Scheme shall be applicable to exercise the functions referred to in sub-paragraph (1) for processing or utilisation of the information which is,—

- (i) in possession of the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be; or
- (ii) made available to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, by-
 - (a) the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation);
 - (b) the Commissioner of Income-tax in charge of the Centralised Processing Centre for processing of returns;
 - (c) the Commissioner of Income-tax in charge of the Centralised Processing Centre (TDS) for processing of statement of tax deducted at source; or
 - (d) any other authority, body or person.

4. Electronic Collection and Verification.—(1) The Commissioner of Income-tax (e-Verification) shall collect the information referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3, in accordance with the procedure laid down by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall make available the information referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 3, to the Commissioner of Income-tax (e-Verification)-

(i) which was uploaded to the registered account or sent on the registered mobile number, wherever available, of the assessee and not accepted by him or in a case where no response has been received from the assessee within ninety days;

(ii) in respect of which no registered e - mail account or mobile number is on record.

(3) The Commissioner of Income-tax (e-Verification) shall process the information made available to it for initial e-verification.

(4) The initial e-verification by the Commissioner of Income-tax (e-verification) shall be through an automated issuance of communication to the source from where the information is received and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall enable such automated communication.

(5) In cases where the mismatch between the amount accepted by the assessee and the amount reported by the reporting entity persists, the information after such initial e-verification shall be run through a risk management strategy laid down by the Board and the information found to be no or low risk on such risk criteria, where no further action is required, shall be processed for closure.

(6) The remaining information shall be transferred electronically by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, to the Prescribed Authority through a process of automated allocation system.

(7) The verification of the information so allocated, shall be completed by the Prescribed Authority in the manner as per the procedure laid down in this regard by the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), with the prior approval of the Board.

(8) The information verified as above, shall be sent back electronically in the form of a preliminary verification report for verification to the Commissioner of Income-tax (e-Verification).

(9) The Commissioner of Income-tax (e-Verification) shall match the preliminary verification report with the information in the return of income of the respective assessee, where such return is available electronically and prepare a final verification report.

(10) Based on the final verification report, the information found to be low risk in accordance with the criteria approved by the Board shall be considered for closure.

(11) The remaining information in the form of final verification report shall be processed in accordance with sub-paragraph 12.

(12) If the information referred to in sub-paragraph (11),—

(i) pertains to a pending scrutiny assessment, it shall be made available electronically to the Faceless Assessing Officer or Jurisdictional Assessing Officer, as the case may be.

(ii) does not pertain to a pending scrutiny assessment, it shall be utilised for further necessary action in accordance with the provisions of the Act.

5. Random Allocation of information.—The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, with the approval of the Board, devise a process to randomly allocate or transfer the information, referred to in sub-paragraph (6) of paragraph 4, to the Prescribed Authority.

6. Issue and service of notice.— (1) For the purpose of verification of information, the Prescribed Authority shall issue notice to a person requiring him to furnish information or documents as necessary for such verification.

(2) The notice shall be issued under digital signature of the Prescribed Authority.

(3) The information or documents called for under sub-paragraph (1) shall be furnished on or before the date specified in the notice or as extended by the Prescribed Authority on the request made by the person.

7. Response to notice.—The Director General of Income-tax (Systems) shall in consultation with the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation)-

(i) shall specify the procedure, formats and standards for furnishing response to the notices; and

(ii) may specify a machine readable structured format for furnishing the information or documents by the person in response to the notice issued under paragraph 6.

8. No personal appearance.—(1) No person shall be required to appear personally or through authorised representative before the Prescribed Authority in connection with any proceedings.

(2) In exceptional cases, where personal appearance is requested by such person, the Prescribed Authority may allow personal appearance through video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible.

9. Communication exclusively by electronic mode.—For the purposes of this Scheme,-

(a) all communications between the Commissioner of Income-tax (e-Verification) and various authorities from whom the information is received, shall be in the electronic mode;

(b) all communications between the Commissioner of Income-tax (e-Verification) and the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), shall be in the electronic mode;

(c) every notice or any other communication under this Scheme from the Prescribed Authority shall be delivered to the person or his authorised representative electronically, to the extent technologically feasible;

(d) the person or the authorised representative shall furnish his response to any notice or any other electronic communication, under this Scheme, to the Prescribed Authority electronically, to the extent technologically feasible;

(e) all communications between the Commissioner of Income-tax (e-Verification) and the Faceless Assessing Officer or the Jurisdictional Assessing Officer shall be conducted through the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be.

10. Authentication of electronic record.—For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by the –

(i) Commissioner of Income-tax (e-Verification) or the Prescribed Authority, as the case may be, by affixing its digital signature;

(ii) person or his authorised representative, by affixing his digital signature if he is required under the rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case, by communicating through his registered e-mail address.

11. Power to specify procedure and processes.- (1)The Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) shall, with the approval of the Board, specify from time to time, procedures and processes for effective implementation and functioning of this Scheme, with respect to the following matters:-

(a) Standard Operating Procedures and techniques of verification to be followed, by the prescribed authorities while verifying such information;

(b) managing administration functions such as receipt, scanning, data entry, storage and retrieval of information and documents in a centralised manner;

(c) grievance redressal mechanism for handling grievances under the Directorate of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation).

(2) The Director General of Income-tax (Systems) shall, with the approval of the Board, specify from time to time, procedures and processes for effective implementation and functioning of this Scheme, with respect to the following matters:-

- (a) mode and format for issue of acknowledgment of the response furnished by the addressee;
- (b) provision of web portal facility including login facility, tracking status of verification, display of relevant details, and facility of download;
- (c) call centre to answer queries and provide support services, including outbound calls and inbound calls seeking information or clarification.

[Notification No. 137 /2021/ F.No. 370142/57/2021-TPL(Part-I)]

SHEFALI SINGH, Under Secy.